



**न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
जिला खालियर**

प्र. क्र. निगरानी / ३४६- / अध्यक्ष / 2013

श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, डॉ
द्वारा आज दि २८/१/१३ को
प्रस्तुत

वल्क ऑफ कोर्ट २८/१/१३
राजस्व मण्डल न.प्र. खालियर

वीरेन्द्रकुमार पुत्र श्री मोतीलाल निवासी ग्राम
बिलौआ तहसील भितरबार जिला खालियर
म0प्र०प्रार्थी

बनाम

1. उत्तमसिंह पुत्र श्री दयाशंकर निवासी ३२-ए
विवेकानंदनगर जीवाजी विश्वविद्यालय मार्फ
ठाटीपुर खालियर म0प्र०
2. विजयसिंह पुत्र श्री चंदनसिंह
प्रीतमसिंह (मृतक)
वारिसान
3. राजासिंह
4. वकीलसिंह पुत्रगण स्व0श्री प्रीतमसिंह निवासी
ग्राम रफीदपुर तहसील डबरा जिला खा०
5. मध्यप्रदेश शासनप्रतिप्रार्थीगण

म0प्र० भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय
अधिकारी तहसील डबरा जिला खालियर के प्रकरण क्रमांक - 60 /
2011-12 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 28/२/2012 के निर्णय के
विरुद्ध निगरानी

OKM

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 346—पीबीआर/13

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-4-2016	<p>शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के आदेश दिनांक 28-12-2012 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से म०प्र०० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि प्रीतमसिंह की मृत्यु उपरांत साक्ष्य के आधार पर उसके वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है, अतः उपरोक्त कार्यवाही पुनः किए जाने से न्यायालयीन समय व्यर्थ किया जाना होगा, जिसमें प्रथम दृष्ट्या कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	